न्यायालय त्रयोदश अपर सत्र न्यायाधीश , भोजपुर, आरा
जमानत आवेदन संख्या–3355 / 2023
इंदल यादव
बनाम
बिहार राज्य

Serial no.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	17-06-2023	आवेदक इंदल यादव, जो शाहपुर थाना काण्ड संख्या–415 / 2022 अन्तर्गत धारा–302, 120-B/34 भा0द0वि0 में दिनांक–04.03.2023 से अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक–07.06.2023 को विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुधर पाण्डेय, विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी को सुना अभिलेख का अवलोकन किया। सूचक सत्यपाल प्रसाद के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–27.11.2022 को समय करीब 2 बजे दिन में घर से बाहर उसका भाई वशिष्ट प्रसाद उर्फ मन्टू सोनार कुर्सी पर बैठा था कि अचानक विद्धासागर गुप्ता, संजय गुप्ता, अजय गुप्ता, अर्जुन धानुक, गुलशन गुप्ता, ज्योति गुप्ता, कृष्णा कुमार ततवां, निक्की सिंह, सन्नी गुप्ता एवं अन्य तीन–चार अज्ञात आयें। सभी अपने–अपने हाथ में पिस्टल और घातक हथियार से लैश थे। आते ही जान मारने के नियत से सभी लोग अंधाधुंध फायर करने लगे। विद्धासागर गुप्ता की गोली उसके भाई के सिने में लगी। अर्जुन धानुक, गुलशन गुप्ता, कृष्णा कुमार ततवां, निक्की सिंह इन चारों द्वारा चलाई गई गोली उसके भाई के बांह एवं अन्य जगहों पर लगी। गोली लगते ही उसका भाई जमीन पर गिर गया एवं छटपटाने लगा। सन्नी गुप्ता और अजय गुप्ता बोलें कि साला मर गया चलो काम हो गया। घटना होते देख अगल–बगल के लोग आयें। तब सभी लोग फायर करते हुए भाग गए। वह अपने भाई का इलाज के लिए जख्मी हालत में रेफरल अस्पताल शाहपुर ले गया जहां डॉक्टर साहब आरा के लिए रेफर कर दिए इसी बीच उसके भाई की मृत्यु हो गई। घटना कारण यह है कि उसके भाई को दो माह पहले यही लोग गोली मारे थे जिसके लिए शाहपुर थाना काण्ड संख्या–325 / 22 दर्ज हुआ था। इसी केस में सुलह करने के लिए सभी लोग काफी दबाव दे रहे थे। उसका भाई सुलह करने से इन्कार कर दिया था। उसका भाई की हत्या में मंडलकारा ,आरा में बन्द दीपक धानुक, विनोद धानुक एवं ऋषभ सोनार का हाथ है।	

<u>न्यायालय त्रयोदश अपर सत्र न्यायाधीश , भोजपुर, आरा</u>
<u>जमानत आवेदन संख्या–3355 / 2023</u>
<u>इंदल यादव</u>
<u>बनाम</u>
<u>बिहार राज्य</u>

Serial no.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>लगातार</u> **17-06-2023**	घटना के एक दिन पहले विद्धासागर गुप्ता की दो बहनें किरण देवी एवं आशा देवी अपराधियों से उसके घर का पहचान करवा रही थी। सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर शाहपुर थाना काण्ड संख्या–415 / 2022 अन्तर्गत धारा–302, 120-B/34 भा0द0वि0 लिखित आवेदन में वर्णित कुल तेरह अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज हुआ एवं अनुसंधान आरम्भ हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन को दाखिल करने के पूर्व कभी भी अग्रिम जमानत या नियमित जमानत हेतु कोई आवेदन सत्र न्यायालय के समक्ष या किसी उच्चतर न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है तथा आवेदक का कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय में लंबित नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसपर झूठा आरोप लगाया गया है। अभियोजन का जैसा कहना है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। सह–अभियुक्त मो0 शमशाद उर्फ सोनु साह के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस ने आवेदक को गिरफ्तार किया है। इस केस के साक्षी जुगनु देवी, रतनाकर प्रसाद, सोनु कुमार घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। सह–अभियुक्त देव प्रकाश यादव उर्फ वेद प्रकाश यादव एवं सुधीर कुमार का जमानत इसी न्यायालय से हुआ है। आवेदक दिनांक–04.12.2022 से अभिरक्षा में है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक की जमानत की प्रार्थाना का विरोध किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त कथन के अलोक में निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं केस दैनिकी का परिशीलन किया। केस दैनिकी की कण्डिका–23 में सूचक का पुनः	

न्यायालय त्रयोदश अपर सत्र न्यायाधीश , भोजपुर, आरा
जमानत आवेदन संख्या–3355 / 2023
इंदल यादव
बनाम
बिहार राज्य

Serial no.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **17-06-2023**	बयान है जिसमें उसने अपने लिखित आवेदन में वर्णित तथ्यों का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। केस दैनिकी की कण्डिका–22, 24, 25 एवं 76 में वर्णित साक्षियों ने सूचक के कथन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। सूचक एवं केस दैनिकी में वर्णित उपरोक्त साक्षियों ने आवेदक का नाम नहीं लिया है। सह–अभियुक्त मो0 शमशाद उर्फ सोनु साह एवं मनीष कुमार उर्फ तिवारी यादव ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक का नाम लिया है। सह–अभियुक्त मो0 शमशाद उर्फ सोनु साह एवं मनीष कुमार उर्फ तिवारी यादव के स्वीकारोक्ति बयान के अलावे केस दैनिकी में आवेदक के विरूद्ध कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केस दैनिकी की कंडिका–102 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। आवेदक इस केस में दिनांक– 04.03.2023 से ही अभिरक्षा में है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक की जमानत की प्रार्थाना को **स्वीकृत** किया जाता है तथा आवेदक **इंदल यादव** को 10,000 / – रूपये के दो प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने पर निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि वह इस मामले के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। (लेखापित) ह0 / – अ0 सत्र न्या0–13 भोजपुर, आरा	